Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Misc. Case No.- 390/2013

Rajesh Prasad Kesari & Ors.....Petitioners

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	25-04-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0— 17123/13 में दिनांक— 07.10.2013 को पारित आदे" । के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा संचिका सं0—11—07/13 के टिप्पणो पृश्ट सं0— 29 पर अंकित निदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आवेदकगण सहित कुल 38 व्यक्तियों को दिनांक— 30.07.2013 को नोटिस निर्गत करते हुए समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालय परिसर में अवस्थित व्यवसायिक प्रतिश्ठानों को दिनांक— 08.8.2013 तक खाली करने का निदेश दिया गया अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई भी संसूचित की गई। उक्त नोटिस के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया के समक्ष आवेदन समर्पित करते हुए उक्त आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अनुरोध किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया ने जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश निर्गत करते हुए 15 दिनों के अंदर कृत्त कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया। किन्तु स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उक्त परिसर खाली करने का आदेश दिया गया। फलतः अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा निर्गत उक्त नोटिस के विरूद्ध इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आवेदकों एवं राज्य की पक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक— 07.10.2013 को मामले की विधि—सम्मत विचारण एवं निश्पादन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया के समक्ष प्रति—प्रेशित(Remand) किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदकगणों को लगभग 70—80 वर्शों से वार्शिक लीज के आधार पर उक्त भू—खण्ड पर दखल प्रदान किया गया है। खेसरा सं0— 2477, रकवा— 200 वर्गफीट पर आवेदक सं0—01 के पिता लगभग 60—70 वर्शो से होटल का व्यवसाय करते चले आ रहे थे, जिनकी मृत्यु पश्चात आवेदक उक्त व्यवसाय को जारी रखे हुए है। वाद सं0— 43/1946—47 में दिनांक— 18.03.1948 को पारित आदेशानुसार आवेदक के पिता को बकाये लीज राशि के भुगतान का आदेश दिया गया, जिससे प्रश्नगत भूमि पर इनका दखल—कब्जा प्रमाणित है। वाद	

WebCopy. Not Official.

		सं0– 98 / 1934–35 में पारित आदेश से यह स्पश्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर क्रमशः	
	लगातार **25-04-2024**	आवेदक सं0–01 के पिता एवं आवेदक सं0– 2 के दादा का लीजधारी के रूप में शांतिपूर्ण दखल–कब्जा था। इसी प्रकार आवेदक सं0– 3 के पिता अब्दूल शकुर को वर्श 1935 से पूर्व होटल व्यवसाय हेतु लीज पर दी गई थी। उनकी मृत्यु पश्चात आवेदक सं0–3 को खेसरा सं0–2482, रकवा– 500 वर्गफीट भूमि दिनांक– 01.04.1965 को लीज पर दी गई। खेसरा सं0–2482, रकवा– 170 वर्गफीट भूमि आवेदक सं0–4 का होटल व्यवसाय हेतु दिनांक– 01.04. 2002 को तथा खेसरा सं0– 242, रकवा– 200 वर्गफीट भूमि उक्त परिसर में आवेदक सं0–5 को वर्श 1987 में लीज पर देते हुए दखल प्रदान किया गया। इसी प्रकार आवेदक सं0–6 के पिता को खेसरा सं0–2477, रकवा– 150 वर्गफीट भूमि दिनांक– 02.09.1993 को लीज पर आवंटित की गई। आवेदकगण (पूर्वज सहित) प्रश्नगत भूमि वार्शिक लीज पर प्राप्त करते हुए नियमित रूप से ससमय लीज का नवीकरण कराते हुए इनके द्वारा वर्श 2013–14 का अंतिम लगान मार्च 2013 में जमा की गई है। Bihar State Khas Mahal Manual Rule-29 के तहत आवेदकगण उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय संचालित करते हुए राज्य सरकार को लगान भुगतान करते रहे है। संचिका सं0–11–07 / 2013 में समाहर्त्ता द्वारा नियम के विरूद्ध एवं मनमाने ढंग से परिसर खाली करने हेतु सूचना निर्गत की गई है। उक्त सूचना निर्गत करने के पूर्व आवेदकगणों से किसी प्रकार की कारण–पृच्छा नही की गई और न ही इनके पक्षों की सुनवाई हेतु कोई अवसर ही प्रदान किया गया, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। Bihar State Khas Mahal Manual के नियम 22 में यह स्पश्ट प्रावधान है कि सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश पर जिला समाहर्त्ता विशेश परिस्थिति में लीज रद्द कर सकते है। समाहर्त्ता द्वारा बिना व्यवहार न्यायालय के आदेश के मनमाने ढंग से परिसर खाली करने की सूचना देना विधि विरूद्ध है। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा दिनांक– 22.3.2013 को निर्गत सूचना विधि विरूद्ध पाते हुए वापस लेने योग्य है। इस प्रकार इनकी ओर से वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की ओर से प्रतिउत्तर / लिखित बहस दाखिल करते हुए सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष स्पश्ट किया गया कि समाहरणालय / अनुमडल कार्यालय एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्णिया परिसर में प्रश्नगत भूमि खास महाल की है, जो समाहरणालय, पूर्णिया के अंतर्गत है। आवेदकगण सहित कुल 38 व्यक्ति खास–महाल रैयत है। आवेदकों द्वारा लीज संलेख की नियम एवं शर्त्तो के अनुरूप रैयतों द्वारा ससमय लगान भुगतान एवं नवीकरण नहीं किये जान के विरूद्ध उन्हें बकाया लगान भुगतान करते हुए प्रश्नगत भूमि खाली करने का नोटिस दिया गया। इस नोटिस के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0–17123 / 2013 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 07.10.2013 को आदेश पारित कर प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया को दो माह के अंदर निश्पादन करने का	

Web Copy, Not Official.

		निदेश दिया गया। आवेदकों द्वारा प्रायः समय की मॉग किये जाने तथा तत्परता पूर्वक वाद के निश्पादन में अभिरूचि के अभाव में लंबित रहा। आवेदक सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त परिसर में अवस्थित होटलों में संध्या क्रमशः	
	<u>लगातार</u> **25-04-2024**	के समय शराब बिक्री एवं पिलाने का कार्य किया जाने लगा जो बिहार राज्य में प्रतिबंधित है। फलतः आवेदकों का लीज नवीकरण नहीं किया गया। अपर समाहत्ता, पूर्णिया द्वारा दिनांक– 22.7.2013 का निर्गत आदेश वैध है। इस प्रकार इनकी ओर से वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, अपर समाहर्त्ता का निर्गत सूचना तथा समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा समर्पित मूल संचिका एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों तथा दस्तावेजों का अवलोकन एवं समीक्षा किया। Bihar Govt. Estates (Khas Mahal) Manual, 1953 में विशिश्ट प्रावधानित नियम 21 एवं 22 के अवलोकन से यह स्पश्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि/दुकान खाली कराने हेतु अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा निर्गत नोटिस पोशणीय नही है। आवेदको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 17123/2013 के Annexure-13 में उठाये गये तथ्यों का भी अवलोकन किया। यदि जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर अंतर्गत प्रश्नगत भूमि को लोकहित/ सौंदर्यीकरण हेतु पुनरारंभ (Resumption) कराना आवश्यक समझा जाता है, ता Khas Mahal Rule 21 यथा– "Resumption should be for public purposes only—When a tenant holds land from Government under a lease containing a clause which authorises the lessor to resume possession of the whole or part of the lands of the tenancy this power of resumption shall ony be exercised if the land is required for a public purpose, and the power of resumption shall not be exercised without the sanction of Government obtained through the Board of Revenue. If such land be required for the use of persons other than Government, e.g. for a local body, it should ordinarily be acquired under the provisions of the land Acquisition Act, and not under the power of resumption given by the lease. एवं Khas Mahal Rule 22 यथा– "Khas possession can only be taken through Civil Court if lessee objects- When in a lease it is provided that, in the event of certain contingencies occurring, the Collector will enter upon and take khas or direct possession of the property, it must be understood that, where the settlement holder objects, possession cannot be taken save under the orders of a competent Civil Court." का अनुपालन विधि–सम्मत है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तथ्य कि समाहरणालय परिसर अवस्थित होटलों में शराब बिक्री एवं पिलाने का कार्य किया जाता है, जो अति संवेदनशील एवं गंभीर मामला है। ज्ञात है कि सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब प्रतिबंधित है। ऐसे गंभीर मामले में समाहर्त्ता, पूर्णिया को विशेश ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है एवं ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।	

Web Copy Not Official.

	लगातार **25-04-2024**	अतः उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत संचिका सं0– 11–07/2013 में समाहर्त्ता, पूर्णिया के पारित आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा दिनांक– 22.7.2013 को निर्गत प्रश्नगत नोटिस को नियमानुकूल वैध नही पात हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले को समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष प्रतिप्रेशित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि Bihar Govt. क्रमशः Estates (Khas Mahal) Manual, 1953 के नियम–21 एवं 22 के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल संचिका सं0– 11–07/2013 समाहर्त्ता, पूर्णिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.